627वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मार्च 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 627वीं बैठक दिनांक 03/03/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 8689/2021 Smt. Mithlesh Singh W/o Shri Naval Singh, Village - Prakash Bamhouri, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 6.659 ha. (4,00,000 cum per annum) (Khasra No. 285), Village - Gumanpura, Tehsil - Chandla , Dist. Chhatarpur (MP). Env. Consultant M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, U.P.</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 285), Village - Gumanpura, Tehsil - Chandla , Dist. Chhatarpur (MP) 6.659 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 579वीं दिनांक 17/06/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति मिथलेश सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पूर्वी क्षेत्र में 130 मीटर दूरी पर नदी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नाले को चेनेलाईज करके गारलेण्ड ड्रेन एंव 02 सेटलिंग टैंकों से जोडा जावेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–41 के सरल

क्रमांक–09 पर दर्ज है किंतु उसमें अक्षांक्ष–देशांश नहीं दिए गए हैं अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रश्नाधीन खदान में 80 पेड़ लगे है, जिनमे से 32 पेड काटे जावेगे जिसके एवज मे 320 पेड अतिरिक्त लगाये जायेगे तथा उत्तर–पश्चिम दिशा में खनन् क्षेत्र का वह भाग जहॉ काफी संख्या में पेड़ है, उसे नॉनमाइनेवल जोन (1.090 हे.) प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण एंव ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.एम.पी. मे समुचित बजट को शामिल किया गया है। जनसुनवाई के दौरान खदान के पास देव के स्थान है यह बिन्दु प्रकाश मे आया था, तत्तसंबंध मे परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पहाडी के निरीक्षण के दौरान वहां पर देव का स्थान स्थित नही है और ना ही तहसीलदार पत्र मे देव के स्थान का जिक्र है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 4,00,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 26.52 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 11.22 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित **गतिविधियां**	
जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रू.
ग्राम गुमानपुर मे समस्त ग्रामीण और बच्चो के लियें साल में दो बार स्वास्थ्य शिविर के जांच के लिए रक्तचाप, मधुमेह एवं मुख स्वच्छता का आयोजन किया जायेगा।	40,000/–
ग्राम गुमानपुर में पशु चिकित्सालय के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य के लिये टीकाकरण शिविर की व्यवस्था कराई जायेगी।	15,000/–
बिरेपुरवा बजरंगबली मंदिर की बाउंड्री वाल के निर्माण मे फ्री मे पत्थर का सहयोग किया जाएगा तथा एक हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा	1,00,000/–
बिसनखेड़ा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सोलर, कंम्यूटर और प्रिंटर की व्यवस्था कराई जायेगी।	65,000/–
योग	2,20,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 8500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	3000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, इत्यादि।	300
3	बिसनखेड़ा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर इत्यादि।	30
4	गाँव गुमानपुर, बिसनखेड़ा, चौबिंटाला गांव के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा इत्यादि।	3940
5	माइन एरिया के अंदर नॉन माइनिंग एरिया (1.090 ha)	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	1200
6	सूरजपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर, पुत्ररंजीवा इत्यादि।	30
		योग	8500

2. <u>Case No 9260/2022 General Manager, Madhya Pradesh State Mining Corporation, Block No. 1(A), 2nd Floor, Jail Road, Paryavas Bhawan Arera Hills, Dist. Bhopal, MP - 462011, Prior Environment Clearance for Bauxite Mine in an area of 21.0 ha. (OB - 2500 cum per annum, Bauxite - 99643 Tonne per annum, Laterite - 21144 Tonne per annum) (Khasra No. 03, 07) Village - Tamar & Kirkiran, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal(M.P.).</u>

This is case of Bauxite Mine. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 03, 07) Village - Tamar & Kirkiran, Tehsil - Majhgawan,Dist.-Satna,(M.P.). Lease area - 21.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 584वीं दिनांक 05/07/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

627वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मार्च 2023

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नागेन्द्र सिंह एवं उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में बाक्साइट उत्खनन् होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है। खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 210 मीटर पर आबादी / बसाहट है तथा लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 85 मीटर की दूरी पर नहर निकल रही है एवं उत्तर–पश्चिम दिशा में 160 मीटर पर जलाशय है एंव उत्तर पश्चिम दिशा मे एक 153 मी. की दूरी पर एक डेम है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज एरिया का सरफेस रन–ऑफ जलाशय के विपरीत दिशा में है तथा पहाडी एक नेचुरल बैरीयर का कार्य कर रही है इसके अतिरिक्त संरक्षण हेतु गारलेण्ड ड्रेन एंव सेटलिंग टैंक प्रस्तुतीकरण मे प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि क्षेत्र में 08 पेड़ लगे है, जिन्हें काटा नहीं जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि इस खदान के जनसुनवाई के दौरान विद्यालय की मरम्मत संबंधी कार्य, शौचालय, खेलकूद की सामग्री एंव पेयजल की व्यवस्था आदि के सुझाव प्राप्त हुए थे जिनको ई.एम.पी. /सी.ई.आर. मे शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा तथा चेनलिंक गेमप्रूफ फेंसिंग की जायेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता बाक्साइट – 1,23,287 टन प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 45.66 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 26.312 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. **8.60** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target			
SN	**Issues**	**Activities**	**Capital investment in lakh**
1.	Providing infrastructure support to the village school	Fan (5 No =10,000) , Solar light, boys and girls toilet (02 toilets for boys and 02 toilets for girls = 2,00,000), boundary wall (2,50,000) at school of village Khuinyan	4.60
2	Free health camp at village Tamar and Kirkiran	Free health camp at village Tamar and Kirkiran twice in year	1.0
3	Infrastructure support for Tribal places	Fund shall be provided to develop and provide infrastructure facility at Tribal Community/ religious places	2.0

4	Fund shall be provided to office of DFO for development of grazing land at village as per OM of MoEF&CC dated 14.01.2016		1.00
	Total		**8.60**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 11,160 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary			
Phase	**Location**	**Name of Tree**	**No. of Plants**
1st and 2nd Year	In barrier zone (3027m)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Neem , Jangle Jalbi, Whute Kastar and other local species	5000
3rd year	Nin minable area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Neem , Jangle Jalbi, Whute Kastar and other local species	4000
		Total	**9,000**
1st year	Along the transport route (300m) 2.5m distance with 1m height	Khamar, Neem, Chirol Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	160
1st and 2nd year	Fund (as per guideline of the department) shall be provided to office of DFO for carrying out plantation 11000 trees over 10 hact area as identified by them in the nearby vicinity .		
1st year	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000

3. <u>Case No - 7570/2020 Shri Rakesh Bansal, 13, Ramkrishna Ganj, Behind Anaj Mandi, Dist. Khandwa, MP - 450001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 7.490 ha. (57,000 cum per annum) (Khasra No. 1189, 1190, 1214), Village - Deshgaon, Tehsil - Khandwa, Dist. Khandwa (MP).</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1189, 1190, 1214), Village - Deshgaon, Tehsil - Khandwa, Dist. Khandwa (MP) 7.490 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की पूर्व 455वीं बैठक दिनांक 16/09/20 को टॉर की अनुशंसा की गई थी और 477वीं बैठक दिनांक 30/01/21 में सिया के पत्र क्रमांक 5551 दिनांक 06/01/21 के द्वारा प्रेषित शिकायत को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सिया को प्रेषित किया गया था । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

627वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मार्च 2023

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश बंसल उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए। आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 20 मी. की दूरी पर है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय आयुक्त, संभागीय कार्यालय इंदौर से इस शर्त पर अनुमति प्राप्त है, कि वन सीमा के छोटे झाड़ जंगल से 50 मी. तक की दूरी तक भविष्य में कोई उत्खनन नही करेगा एंव वन भूमि से 50 मी0 की दूरी छोडकर उत्खनन पट्टा क्षेत्र की तार फेंन्सिग करेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिमी दिशा में 101 मीटर पर डेम है तथा पश्चिम दिशा मे 65 डेम का केचमेंट एरिया है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसके संरक्षण हेतु गारलेण्ड ड्रेन एंव सेटलिंग टैंक प्रस्तुतीकरण मे प्रस्तावित है तथा डेम की तरफ लगभग 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण पूर्व से ही किया जा चुका है तथा क्रशर के आस–पास भी 4200 पौधे लगाये जा चुके है। प्रश्नाधीन खदान के मध्य मे खुदा हुआ दिख रहा है एंव इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि यह पूर्व का उत्खनन है। प्रश्नाधीन खदान को 2008 से 2018 तक पूर्व में ई.सी. (18.84 हेक्टे.) प्राप्त थी । मा0. राष्ट्रीय हरित अभिकरण ओ.ए. 129/2016 दिनांक 10/03/2017 को आदेश के द्वारा खनन पर रोक लगाई गई तत्पश्चात् मा0. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/04/2017 को उक्त संबंध में स्थगन आदेश पारित किया गया। मा0. राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने दिनांक 04/05/2017 को पारित आदेश मे ई.सी. निरस्त की गई। तत्संबंध में मा0. उच्च न्यायालय द्वारा अभिकरण द्वारा पारित आदेश को दिनांक 18/05/2017 को पुनः स्थगन कर दिया तथा संयुक्त समिति बनाई जिसमें 8.09 हे. के लिये लीज रिन्युअल हेतु अनुशंसित किया गया है। तत्संबंध में संभायुक्त द्वारा 7.49 हे0. हेतु लीज रिन्युअल किया गया। **इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, रोजगार इत्यादि, के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे जिसे परियोजना प्रस्तावक मान्य करते हुये संबंधित बिन्दुओं को ई.एम.पी./सी.ई.आर. मे समुचित बजट को शामिल किया गया है।** परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् की अधिकतम गहराई टॉप लेबल से 8.0 मीटर तक ही प्रस्तावित है तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । इस प्रकरण में प्राप्त शिकायत को 477वीं बैठक दिनांक 30/01/21 में हुई चर्चा के संदर्भ में सिया के पत्र क्रमांक 2121 दिनांक 30/09/21 के माध्मय से कलेक्टर जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक 602 दिनांक 16/08/21 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन सेक को अग्रेषित किया । समिति ने प्रतिवेदन कर अवलोकन कर पाया कि खनि निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20/04/21 में उल्लेख किया कि शिकायत के बिंदु भ्रामक एवं व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के हस्ते किया जाना प्रतीत होती है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 57,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 37.86 लाख एवं रिक्रिरिंग राशि रू. 15.50 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

CER		
Providing infrastructure support to the School at Deshgaon Village	Provision of overhead tanks and pump for water supply at school	0.50
Provision of health camp	Provision of two health camp in a year at the village Deshgaon and for people of nearby area	1.00
	Total	**1.50**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 8900 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Phase	Name of Tree	No. of Plants	Location
1st year	Katang bans, Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jam, and other local species	3000	In barrier zone and along the gullies
2nd year	Katang bans, Jamun, Karanj, Pipal, Mango, Khamer, Neem, Sissoo, Jam, Aanwla, and other local species	3000	In barrier zone and along the gullies
1st year to 2nd year	Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	900	Along the transport route (1100m) 2.5m distance with 1m height
1st year	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000	For village distribution
	Total	8900 (6000 + 900 + 2000)	

4. <u>Case No 8794/2021 Sr. GM Mining , M. P. State Mining Corporation Ltd, Paryavas Bhawan, Block No. 1, 2nd floor, (A), Jail Road, Arera Hills Prior Environment Clearance for Capacity Expansion Jhabua Rock Phosphate mine in area of 37.70 ha. , Khasra No. 21, 23 (Production 1,50,000 TPA to 5,16,026 TPA) at Village- Kachaldara, Tehsil - Meghnagar, Dist- Jhabua . Env. Consultant- M/s. Creative Enviro Services , Bhopal.</u>

This is case of Rock Phosphate mine. It's a case of capacity Expansion of Rock Phosphate mine from 1,50,000 TPA to 5,16,026 TPA with total area of 37.701 ha.The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site Village- Kachaldara,

Tehsil - Meghnagar, Dist- Jhabua M.P. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 530वीं दिनांक 25/11/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हेमंत येरपुडे, एम.पी. स्टेट माइंनिग कार्पोरेशन लि. भोपाल एंव उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूंकि प्रकरण क्षमता विस्तार का है अतः उनके द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ई.सी की शर्तो का पालन प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 853 दिनांक 31/12/21 प्राप्त किया गया है जिसमें कोई भी एन.सी. नही है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र में कई पेड लगे है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सभी पुराने पेड़ है जो पूर्व के खनन् के दौरान (3850 पेड) लगाये गये थे तथा कोई भी पेड नही काटा जाना प्रस्तावित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि बताया कि इस प्रकरण में पुराने डंप की रिहेंडलिग भी की जायेगी क्योकि पूर्व में 17 प्रतिशत तक P2O5 की रिकवरी संभव थी जबकि वर्तमान में 5 प्रतिशत तक P2O5 की रिकवरी संभव है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान कई सुझाव प्राप्त हुये जैसे– वृक्षारोपण, चिकित्सालय एंव स्कूल का निर्माण, विद्यालय मे पेयजल की व्यवस्था, शैक्षणिक व खेल विकास, पक्के रोड का निर्माण, परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव, जिनको परियोजना प्रस्तावक द्वारा मान्य किये एंव अपनी सहमति व्यक्त की गई ।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता विस्तार : रॉक फॉस्फेट– 5,16,026 टन प्रतिवर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. **66.99** लाख एवं रिक्रिरिंग राशि रू. **46.67** लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. **36.85** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	**Issues**	**Cost in Rs Lakh**

Provision of water harvesting structure	Provision of harvesting structure at villages and construction of check dam at nalla for water harvesting	2.00
Providing infrastructure support to the school of Kachaldara Village	2 Toilet at Govt. primary School, Kachaldara with facility of water through bore well at School. 5KW solar unit with power back-up	1.50 3.00
Distribution of books	Distribution of books for students of schools and Khatamba, Kalua, Khachaldhara etc	1.00
Provision of Health facility	One Clinic with doctor, attended with Ambulance and other facility for free check-up of villagers and workers under supervision of PHC.	10.00
Construction of road	About 2.15kmL x 7.5mW WBM road will be constructed.	19.35
Total		**36.85**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम **42000** वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary			
Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants
1st to 2nd year	In barrier zone (5813m) and non mining area	Katang bans, Karanj, Pipal, Khamer, Chirol Neem, Sissoo, Aanwla, and other local species	18000
1st to 2nd year	Non Mining area within the lease area	Katang bans, Karanj, Pipal, Khamer, Chirol Neem, Sissoo, Aanwla, and other local species	16200
After Back	Backfilled area	Katang bans, Karanj, Pipal, Khamer,	4000

filling		Chirol Neem, Sissoo, Aanwla, and other local species	
		Total	38200
1st year to 2nd year	Along the transport route (1100m) 2.5m distance with 1m height	Jamun, Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	1800
1st year	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000
		Grand Total	42000

5. <u>Case No 7305/2020 M/s Fortune Stones Limited, 11, Bungalow No. 2, Lonathpuram, Sagar Road, Chhatarpur (MP) Prior Environment Clearance for approval of Granite Stone Quarry in an area of 1.40 ha., (711 CUM/Annumn) (Khasra No. 901 part) at Village- Kathara, Tehsil- Lavkushnagar, District- Chhatarpur (MP)</u>

This is case of Granite Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 901 part) at Village- Kathara, Tehsil- Lavkushnagar, District- Chhatarpur (MP) 1.40 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 446वीं दिनांक 06/07/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पुष्पेन्द्र सिंह उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए। एसईएसी बैठक क्रमांक 446वीं दिनांक 06/07/2020 में अनुशंसित टॉर अनुसार जिला वन मंडलाधिकारी के पत्र क्र0. 1994 दिनांक 01/01/2015 में लेख है, कि आवेदित क्षेत्र वन सीमा से <250 मी. मे है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय आयुक्त, संभागीय कार्यालय छतरपुर दिनांक 20/12/2017 को आहुत बैठक में आवेददित खनन क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, कि वन कक्ष

क्रमांक पी.–703 की सीमा से 0 (शून्य) कि.मी. पर प्रतिवेदित किया गया है। उपरोक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक को वन सीमा की ओर वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में पक्की सीमेन्ट पत्थर दीवार (पत्थर खाखरी) का निमार्ण करेगा । वन मंडलाधिकारी के निर्देशन मे वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है तथा उत्तर एंव पूर्व दिशा में खदान से लगी हुई आबादी है। खदान के पूर्वी दिशा में आवेदित खनन क्षेत्र के समीप आबादी दिख रही है, लीज क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिशा मे 100 मी. की दूरी पर पक्का रोड स्थित है। तत्संबंध मे परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है तथा वायर–शॉ मेथड के माध्यम से ब्लॉक कटिंग की जावेगी। इस खदान की जनसुनवाई के दौरान कई सुझाव प्राप्त हुये जैसे– स्वास्थ्य शिविर एंव रोजगार जिनको परियोजना प्रस्तावक द्वारा मान्य किये एंव अपनी सहमति व्यक्त की गई । खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट स्टोन – 711 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.87 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 24.172 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target
(Project Cost : 100 Lacs)
Apart from the ongoing CER programme being carried out for extsing adjacent mine, following are the proposal of CER for proposed mine .

SN	Issues	Cost lacs in Rs
1	Conduction of medical camp for people of village Kathara and Nearby area (Twice in a year)	2.00
2	Additional facilities at PHC of Village Kathara- Bagmau as per requirement	3.00
	Total	**05.0**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3100 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary			
Phase	Name of Tree/ shrub/Herbs	No. of Plants	Location

1st and 2nd year	Neem, White Kastar, Chirol, Khamer and other Seeds of subabool local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	1000	Along with barrier zone
Along with Mining Operation	Karanj, Jangal Jalebi, White Kastar, Neem, Chirol, Khamer, and other local species etc.	1800	backfilled area
1st and 2nd year	Mango, Leman, Kathal, Munga, Neeem, Sitafal, Jamun and other local species etc.	200+1000	Road Side and For village distribution
	Total	4000	

6. <u>Case No 7828/2020 M//s Bhagchand Sancheti, Partner, Shri Gaurav Sancheti, Nehru Chowk, Waraseoni, Dist. Balaghat, MP - 481331 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 5.80 ha. (50000 tonne per annum) (Khasra No. 239, 240, 278/2), Village - Ambejhari, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP)</u>

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 239, 240, 278/2), Village - Ambejhari, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) 5.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 618वीं बैठक दिनांक 11/01/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण सेक की 627वीं बैठक दिनांक 03/02/2023 एवं 618वीं बैठक दिनांक 11/01/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित नहीं रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

7. <u>Case No. - 5651/2018 M/s D.G.Minerals Pvt. Ltd, 158, Third Floor, Zone-II, M.P.Nagar, Bhopal – 462011 Prior Environment Clearance for Granite Deposit in an area of 6.00 Ha Production Capacity- 3874 TPA (Khasra no. 231 Part, 250) at Village- Pratappura , Tehsil - Lavkushnagar, Dist. Chhatarpur (MP). Env. Consultant – M/s. Cognizance Research India Private Limited, Noida, U.P. Amendment of EC.</u>

This is case of Granite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at Khasra no. 231 Part, 250 at Village- Pratappura, Tehsil - Lavkushnagar, Dist. Chhatarpur (M.P.) 6.00 ha. The project requires amendment of EC.

Hence, in the light of above the case was scheduled for clarification from PP wrt Amendment of EC. The case was scheduled for presentation wherein the Env. Consultant Shri Sanchit Kumar from M/s. Cognizance Research India Private Limited, Noida, U.P. and PP Shri Dileep Kumar Gupta was presented the case wherein sumitted that they have not carried out any working till date due to pandemic (COVID-19) and after getting business potential PP has applied for prescribed form for EC Amendment due to addition of M-Sand Plant in the lease area for the capacity of 1,21,950 M3/Year.

Chronology of the case:-

- EC recommended in 309th SEAC meeting dated 23-03-2018.
- EC granted in 479th SEIAA meeting dated 12-04- 2018. EC issued vide letter no. 195-96/SEIAA/18 dated 04-05-18.
- PP vide letter dated 02-08-19 informed that we have applied for the CTO, which is still under process, after that we will submit the report.
- Compliance report for the period of June 2022 received by email on dated 28-06-22

PP further submitted that so far total 300 trees have been planted against the target of 900 trees the rest trees shall be planted in the coming rainy season. The EIA/EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant EC Amendment for Granite mining lease in an area of 6.00 ha. for 3874 TPA with addition of M-Sand Plant in the lease area for the capacity of 1,21,950 M3/Year at Khasra No. 231 and 250 at Village –Pratappura Teh-Lovekush Nagar, Distt-Chhatarpur- (M.P), subject to the following special conditions:

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – 3874 टन/वर्ष एवं एम–सेंड – 1,21,950 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.77 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 12.79 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी. ई. आर. गतिविधि					
सी.एस. आर. मद से प्राथमिक स्वास्थ केंद्र प्रतापपुरा (ग्राम प्रतापपुरा) में स्वास्थ संबंधी निम्नलिखित उपकरणो का वितरण किया जाएगा					
साल	**संस्था का नाम**	**उपकरण सामग्री**	**कंपनी**	**संख्या**	**राशि**
1	प्राथमिक स्वास्थ केंद्र प्रतापपुरा (ग्राम प्रतापपुरा)	ECG Machine With Report	Medonics	01	50,000
		Radiant Warmer	BLT Monitoring Company	01	35,000
		Wheel Chair - 5 & Stretcher - 3	-	08	50,000
		Refrigerator	LG	01	15,000
2	ग्रामपंचायत के माध्यम से ग्राम प्रतापपुरा में हेन्ड पम्प लगवाया जावेगा।			02	1,00,000
			योग		2,50,000.

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 7200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन में	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	4500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), कंरज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	250
3	प्रतापपुरा स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अ ोक।	50
4	प्रतापपुरा ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरूद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	2400
		योग	7200

8. प्रकरण क्रमांक 9024/2022 – मेसर्स सीताराम स्टोन पार्टनर श्री धर्मेंद्र दानत्री, बी–11, पुरूषोत्तम बिहार, गोला का मंदिर जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130 रकबा 4.640 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 2,28,000 मी.^{3}, ग्राम धरमन, तहसील गोहद जिला भिंड (म.प्र), (पर्यावरणीय स्वीकृति संशोधन)।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130 रकबा 4.640 हेक्टेयर, ग्राम धरमन, तहसील गोहद जिला भिंड (म.प्र) पर स्थित है।

Chronology of the Case

- TOR recommended in 556 SEAC meeting dated 02-03-2022.
- TOR approved in 710 SEIAA meeting dated 08-03-22.
- TOR issued vide letter no. 3476- 77/SEIAA/22 dated 17-03-22 valid till 07-03-2025.
- EC recommended in 580th SEAC meeting dated 23-06-22.
- Case referred back to SEAC in 735th SEIAA meeting dated 11-07-22.
- Case referred back to SEIAA for further process decided in 586th SEAC meeting dated 21-07-22.
- Case referred back to SEAC in 740th SEIAA meeting dated 30-07-22
- Committee decided to issue ADS to PP regarding online submission of information in Parivesh Portal in 588 SEAC meeting dated 16-08-22.
- EC recommended in 591th SEAC meeting dated 27-08-22.
- Query in 746 SEIAA meeting dated 13-09-22.
- Letter no. 1658/SEIAA/22 dated 23-09- 22 - regarding submission of information within 15 days.
- EC granted in 750 SEIAA meeting dated 13-10-22.
- EC issued vide letter dated 20-10-22. Letter no. 2514-15 dated 05-01-2023 sent to PP for applying the Form-4 (Amendment of EC) on Parivesh Portal.

PP submitted following reasons for Modification in EC in the Form-4 (Amendment of EC) on Parivesh Portal.

In the issued EC because of existing canal 100m East of applied area MPSEIAA has given us a condition in point n0. 3 of specific conditions to leave 200m setback from canal and to develop green belt in this but according to our approved mining plan the rock-breaker will be used for 100-200m from canal and blasting in further area that is after 200m. Also we will follow the NGT O.A. no.304/2019 dtd 28/02/2020 that also mentions the same thing. Kindly consider on the basis of above fact.

Hence, in the light of above the case was scheduled for presentation wrt Amendment of EC. The Environment Consultant Shri Ram Raghav, M/s Green Circle Vadodara (Guj.) on

behalf of PP has sumitted that the in the approved mining plan mentioned that rock-breaker will be used for 100-200m from canal and blasting in further area i.e. after 200 m. Committee after presentation observed that this case has already been recommended by SEA. Hence committee standby its earlier recommendation made in 591st SEAC meeting dated 27/08/22.

9. **Case No 9646/2023 Mr. Kaushik Chakraborty, G.M (Mining)/ Environment, Western Coalfields Limited, Coal Estate Civil lines, Nagpur (Maharashtra)-440001, Prior Environment Clearance for Expansion of New Sethia OCP in an area of 144.453 ha. (Coal - 0.50 MTPA) (Khasra No. 306), Village-Sethia, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP)- EC Amendment.**

This is case of Open Cast Mining Coal mining. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal under amendment in EC category for accommodate 10.09 MM3 of OB excavated from Chhinda OCP Expn into the void (western quarry).

The case was scheduled for presentation wherein PP and consultant intends to connect through online mode of presentation but the connectivity could not be established trying several times due to network failure at PP's end. Thus committee decided that another opportunity shall be given to the PP and consultant to present their case in upcoming SEAC meeting.

10. **Case No 9578/2023 Mr. Kaushik Chakraborty, G.M (MINING)/ ENVIRONMENT, Western Coalfields Limited, Coal Estate Civil lines, Nagpur (Maharashtra)-440001, Prior Environment Clearance for Chhinda OCP Expn. in an area of 106.68 ha. Chhinda OCP Expn. (0.18 MTPA to 0.65 MTPA) [(Amendment in EC for accommodating OB into the adjacent Expn. of New Sethia OCP mine void)], at Village-Chhinda, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP).-EC Amendment.**

This is case of Open Cast Mining Coal mining. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal under amendment in EC category for accommodating OB into the adjacent Expn. of New Sethia OCP mine void for Chhinda OCP Expn. in an area of 106.68 ha. Chhinda OCP Expn. (0.18 MTPA to 0.65 MTPA) at Village-Chhinda, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP).

The case was scheduled for presentation wherein PP and consultant intends to connect through online mode of presentation but the connectivity could not be established trying several times due to network failure at PP's end. Thus committee decided that another

opportunity shall be given to the PP and consultant to present their case in upcoming SEAC meeting.

11. <u>Case No 9610/2023 Shri Arpit Jain, Partner, R/o 13, Nagar Nigam Complex, Hospital Road, Lashkar, District-Gwalior (MP)-474001 Prior Environment Clearance for Kherwa Stone – 95,418 Cum per annum & M-Sand – 14,31,27 Cum per annum Mine in an area of 4.946 ha. (1,12,626 Cum per annum) (Khasra No. 24/1/1, 24/1/3, 24/1/4, 23/2/1, 23/2/23, 22, 27/6), Village-Kherwa, Tehsil-Majhgawan, District-Satna (MP)</u>

This is case of Stone & M-Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 24/1/1, 24/1/3, 24/1/4, 23/2/1, 23/2/23, 22, 27/6), Village-Kherwa, Tehsil-Majhgawan, District-Satna (MP) 4.946 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अर्पित जैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2026 दिनांक 23/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार

- खदान के दक्षिण–पश्चिमी दिशा में 01 मकान है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तावित खदान निजि भूमि पर स्थित है एंव मकान उनके स्वंय का है जिसे साईट आफिस बनाया जावेगा। खनन् क्षेत्र में 15 पेड़ लगे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् क्षेत्र में 15 मे से 03 पेड़ कटेंगे उसके एवज मे 30 अतिरिक्त पेड लगायेंगे। खदान क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी दिशा में लगभग 511 मी. की दूरी पर आबादी है, जो कि गूगल इमेज के अनुसार उ.प्र. की सीमा के अंदर है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 2023 दिनांक 23/11/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट 2022–23 में बनी है, जिसमें ग्राम खेरबा शामिल है। उपरोक्त प्रकरण में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) होने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा शामिल किया जायेगा । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय

स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 95,418 मी^{3} प्रति वर्ष एंव एम. सेंड – 1,431,27 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 06.35 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम पंचायत खेरवा के शासकीय स्कूल में 01 कंप्युटर सिस्टम तथा 10 टेबल एवं 10 कुर्सी की व्यवस्था की जावेगी	70,000/–
ग्राम पंचायत खेरवा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में वैज्ञानिक उपकरण की व्यवस्था की जावेगी ।	10,000/–
योग	80,000/–

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद मुनगा व अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियॉ।	4000
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01मी.)	नीम, पीपल, चिरौल, सेमल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	180
3	खेरवा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद ।	1800
4	शासकीय विद्यालय खेरवा में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	20
		योग	6000

12. <u>Case No 9614/2023 Smt. Monika Sharma W/o Shri Anand Sharma, R/o 302, Bhaskar Apartment, Jayendra Ganj, District-Gwalior (MP)-474009, Prior Environment Clearance for Bhadora Flagstone Quarry in an area of 1.00 ha. (7,000 Cum per annum) (Khasra No. 1318/4), Village-Bhadora, Tehsil-Pichhore, District-Shivpuri (MP)</u>

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1318/4), Village-Bhadora, Tehsil-Pichhore, District-Shivpuri (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मोनिका शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1565 दिनांक 21/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र असमतल भूमि पर है। खदान के पश्चिम दिशा में 338 मी. पर एक पक्का रोड है तथा दक्षिण दिशा मे 270 मी. पर नदी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र मे कुछ झाडियां लगी हुई है जो कि पेडों की श्रेणी मे नही आती है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्र0. 3–6/खनि/09/2022 शिवपरुी दिनांक 03/01/2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि पट्टेधारक श्रीमति मोनिका शर्मा, ग्राम भडोरा , तह0. पीछोर के सर्वे न0. 1318/4, रकबा 1.00 हेक्टे. पर सैद्वातिक स्वीकृति जारी की गई है जिसे नवीन गौण खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन कर लिया गया है। चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन – 7,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.43 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.88 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.32 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम भदोरा के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 2 बी.पी मशीन 2 शुगर टेस्टिंग मशीन एवं 2 व्हील चेयर उपलब्ध करवाई जावेगी अथवा पदस्थ अधिकारी के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री प्रदान की जावेगी।	32,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, आवला, अचार, नीम, सीताफल, आम, चिरोल आदि।	300
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, चिरोल, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, सिस्सू, कदम आदि।	300
3	ग्राम भदोरा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कचनार, सिस्सो, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि।	50
	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– अमरुद, आम, जामुन, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल, मुनगा आदि।	550
		योग	1200

13. <u>Case No 9615/2023 Shri Ajay Pathak Partner, M/s Maa Infratech, Vijay Nagar, Sector No.-3, District-Gwalior (MP)-474012, Prior Environment Clearance for Upcha Stone & M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-25000 & M-sand-25000 Cum per annum) (Khasra No. 927), Village- Upcha, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP)</u>

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 927), Village- Upcha, Tehsil-Vijaypur,

District-Sheopur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाठक (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात)उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 11038 दिनांक 11/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर पूर्वी दिशा मे 100 मी. पर आबादी, पूर्व दिशा में 41 मी. पर, दक्षिण–पूर्व में 50 मी. पर एंव 308 मी. पर शेड स्थित है। उत्तर–पश्चिम में 292 मी. पर मौसमी नाला एंव एक पूर्व उत्तर दिशा में 104 मी. पर कच्चा रोड है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। मौसमी नाले के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र0. 25 एंव सरल क्र0. 10 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम. सेंड – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.93 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.61 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
उपचा के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार स्वास्थ केंद्र में उपयोग हेतु सामग्रीध्उपकरण उपलब्ध कराये जावेंगे।	80,000/-

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1550 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, चिरोल,	700

		खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल, बरगद, करंज आदि।	
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– करंज, नीम, चिरोल, पीपल, सिस्सू, कदम, पुत्रंजीवा आदि।	200
3	ग्राम उपचा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि।	200
	ग्राम उपचा के नजदिक स्थित ग्राम पंचायत में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, मोलश्री, सिस्सू, बरगद, पीपल, कचनार, कदम , चिरोल आदि।	150
	ग्राम उपचा एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, आम, जामुन, सीताफल, अनार, निम्बू, अमरुद, कटहल, आमला आदि।	1300
		योग	1550

14. <u>Case No 9668/2023 Shri Khum Singh Mandloi S/o Shri Harta Mandloi, Lessee, R/o Khamat, Tehsil-Sondwa, District-Alirajpur (MP)-457888, Prior Environment Clearance for Soliya Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-3,000, M-Sand-74,600 Cum per annum) (Khasra No. 284), Village-Soliya, Tehsil-Sondwa, District-Alirajpur (MP)</u>

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 284), Village-Soliya, Tehsil-Sondwa, District-Alirajpur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री खुम सिंह मंडलोई (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1372 दिनांक 22/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के अंदर एक क्रशर स्थित है। खदान के दक्षिण–पूर्व किनारे से एक मौसमी नाला निकल रहा है। पश्चिम दिशा 186 मी. पर एक तालाब है, दक्षिण दिशा में 372 मी. एक स्टॉप डेम स्थित है एंव

दक्षिण–पूर्व दिशा पर 258 मी. पर एक पक्का रोड है। मौसमी नाले के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है।
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 1372 दिनांक 22/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को डी.एस.आर. के चेप्टर–13 में प्रपोज्ड एरिया सरल क्रमांक–7 पर इंद्राज किया गया है, जिसे आगामी सर्वेक्षण रिपोर्ट में मुख्य सूची में सम्मिलित किया जावेगा। चूँकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि 624वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 26 फरवरी 2023 मे लिये गये निर्णय अनुसार की अतः समिति का मत है कि इस स्थिति में उपरोक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्र0. 26 (स) के अनुसार सिया स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण सिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

15. <u>Case No 9669/2023 Smt. Teena Kunwar W/o Shri Kuldeep Singh Sisodiya R/o Pipliwada, Sandla, Tehsil-Badnawar, District-Dhar (MP)-454660, Prior Environment Clearance for Sandla Stone Quarry in an area of 1.98 ha. (25,000 Cum per annum) (Khasra No. 241/1/1), Village-Sandla, Tehsil-Badnawar, District-Dhar (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 241/1), Village-Sandla, Tehsil-Badnawar, District-Dhar (MP) 1.98 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती टीन कुवर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1731 दिनांक 19/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में 60 मी. पर एक मौसमी नाला है। दक्षिण–पूर्व दिशा में 375 मी. एक स्टॉप डेम स्थित है एंव उत्तर–पूर्वी किनारे से एक कच्चा रोड निकल रहा है। मौसमी नाले के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। खदान क्षेत्र के अंदर लीज से लगा हुआ एक मकान स्थित है।

इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस मकान को किराये पर ले लिया गया है एंव इसका किरायानामा भी परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 1751 दिनांक 21/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त प्रकरण में सैद्धांतिक मंजूरी डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट अनुमोदन के पश्चात् जारी हुई है । उक्त प्रकरण में संपर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरांत उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

चूँकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.25 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.92 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
ग्राम संदला के उच्चतर माध्यमिक शाला में 1 कंप्यूटर सेट एवं 1 प्रिंटर उपलब्ध करवाया जावेगा ।	70,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2380 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा**
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– सिस्सु, बबूल, जंगल–जलेबी, सफेद कस्टार, नीम, सीताफल, चिरोल , आदि।	360
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	150

	मीटर)		
3	ग्राम सांदला के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, कटहल, आवला, करंज, आदि।	60
4.	ग्राम सांदला के आदिवासी बालिका छात्रावास में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, चिरोल, करंज आदि।	120
5	ग्राम सांदला के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, कटहल, आवला, करंज, आदि।	60
6	ग्राम सांदला के आदिवासी बालिका छात्रावास में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, चिरोल, करंज आदि।	120
7	ग्राम सांदला के उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, चिरोल, करंज आदि।	150
8	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *मुनगा, आम, जामुन, सीताफल, अनार, निम्बू, अमरुद, कटहल, आमला* आदि।	1540
		योग	2380

16. <u>Case No 9671/2023 Smt. Jyoti Agrawal, Partner, M/s Pitambara Construction and Mining Pvt. Ltd., R/o H.No. 94/1, Vivekanand Colony, Near Bangali Temple, District-Ujjain (MP)-456010, Prior Environment Clearance for Jamuniya Quarry in an area of 3.00 ha.</u> Gitti Boulder- **<u>60,000 Cum per annum</u>** , Murrum – **<u>1, 124 Cum per annum & M-Sand - 20,000 Cum per annum) (Khasra No. 1044/1), Village-Jamuniya, Tehsil-Banda, District-Sagar (M.P.).</u>**

This is case of Gitti, Boulder, Murrum, M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1044/1), Village-Jamuniya, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती ज्योति अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा.) लि0. नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2034दिनांक 30/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान

स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण पूर्व दिशा मे लगभग 200 मी. से अधिक पर आबादी, दक्षिण दिशा में 370 मी. पर एक पक्का रोड है। चूँकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल–प्रमााण पत्र क्रमांक 2034 दिनांक 30/11/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उपरोक्त खदान का नाम जोड़ लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन बोल्डर – 60,000 मी^{3} प्रति वर्ष, मुरूम – 1,124 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम. सेंड – 20,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.22 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 06.31 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी. ई. आर. गतिविधि

सी.एस. आर. मद से प्राथमिक स्वास्थ केंद्र जमुनिया ;ग्राम जमुनियाद्ध में स्वास्थ संबंधी निम्नलिखित उपकरणो का वितरण किया जाएगा

साल	संस्था का नाम	उपकरण सामग्री	कंपनी	संख्या	राशि
1	प्राथमिक स्वास्थ केंद्र जमुनिया (ग्राम जमुनिया)	ECG Machine With Report	Medonics	01	50,000
		Radiant Warmer	BLT Monitoring Company	01	35,000
		Refrigerator	LG	01	15,000
		Wheel Chair -5 Stretcher - 3	-	8	50,000

योग	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	2450
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), कंरज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	100
3	जमुनिया स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक।	50
4	जमुनिया ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरूद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	1000
		योग	3600

17. <u>Case No 9672/2023 Smt. Jyoti Agrawal, Partner, M/s Pitambara Construction and Mining Pvt. Ltd., R/o H.No. 94/1, Vivekanand Colony, Near Bangali Temple, District-Ujjain (MP)-456010, Prior Environment Clearance for Sorai Stone Boulder- 15,000 Cum per annum , & M-Sand - 5,000 Cum per annum) (Khasra No. 466(P)), Village-Sorai, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP).</u>

This is case of Gitti, Boulder, Murrum, M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 466(P)), Village-Sorai, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती ज्योति अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा.) लि0. नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2033 दिनांक 30/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

627वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मार्च 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 160 मी. पर पक्का रोड, पश्चिम दिशा में आबादी, दक्षिण पश्चिम दिशा में 384 मी. पर मौसमी नाला है तथा उत्तर दिशा में 345 मी. पर एक प्लांट स्थित है। मौसमी नाले के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल–प्रमााण पत्र क्रमांक 2033 दिनांक 30/11/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उपरोक्त खदान का नाम जोड़ लिया जावेगा । चूँकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन बोल्डर – 15,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम–सेंड – 5,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.52 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 04.09 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी. ई. आर. गतिविधि					
सी.एस. आर. मद से प्राथमिक स्वास्थ केंद्र सौरई ;ग्राम सौरईद्ध में स्वास्थ संबंधी निम्नलिखित उपकरणो का वितरण किया जाएगा					
साल	**संस्था का नाम**	**उपकरण सामग्री**	**कंपनी**	**संख्या**	**राशि**
1	प्राथमिक स्वास्थ केंद्र सौरई (PHC) (ग्राम सौरईद्ध	ECG Machine With Report	Medonics	01	50,000
		Radiant Warmer	BLT Monitoring Company	01	35,000
		Refrigerator	LG	01	15,000
				योग	1,00,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	750
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), कंरज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	100
3	सौरई स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक।	50
4	सौरई ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरूद नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	300
		योग	1200

18. <u>Case No 9675/2023 Shri Shiv Kumar Bansal, Proprietor, M/s Scons Infrastructure Private Limited, R/o Flat No.-251, Suryoda Apartment, Dwarka, Sector-12, Pocket-08, Dwarka, New Delhi-110078, Prior Environment Clearance for Bhamraha-2 Stone Quarry (Temporary Permit) in an area of 2.943 ha. (1,32,017 Cum per annum) (Khasra No. 775, 777/2, 779/2), Village-Bhamraha-2, Tehsil-Beohari, District-Shahdol (MP). (Temporary Permit).</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 775, 777/2, 779/2), Village-Bhamraha-2, Tehsil-Beohari, District-Shahdol (MP) 5.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शिव कुमार बंसल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 65 दिनांक 27/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र दो भागों में विभक्त है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् क्षेत्र 01 हे0. का न्यूनतम क्षेत्र हेतु दो भागों में स्वीकृत किया गया है। खदान का पूर्वी भाग आंशिक रूप से खुदा हुआ है। जिसके संदर्भ में

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् क्षेत्र मे यह खुदाई वर्ष 2018 मे की गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक को यह लीज जनवरी 2023 मे आंवटित हुई है। खदान के पूर्व दिशा मे 189 मी. पर एक पक्का रोड है एंव दक्षिण दिशा में 240 मी. पर एक कच्चा रोड है, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 193 मी. पर एक छोटा तालाब है। तालाब के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। खदान के दक्षिण–पूर्वी ओर 174 मी. पर कुछ बिरले मकान स्थित है। जिस हेतु 200 मी. तक नॉन–माईनिंग जोन प्रस्तावित है। चूँकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहड़ोल के पत्र क्र0. 19/खनि/09/2023/66 शहड़ोल दिनांक 27/01/2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि उक्त अस्थायी अनुज्ञा को आगामी डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा। नवीन गौण खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन कर लिया गया है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 1,32,017 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.82 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 03.05 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
1 स्टेचर एवं 2 व्हील चेयर्स बमराहा गांव के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में उपलब्ध कराई जाएँगी।	30,000
ग्राम बमराहा में हैंडपंप लगवाने का कार्य किया जावेगा उसके आस पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण किया जावेगा ।	1,20,000
योग	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3560 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा

1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, सिस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, अचार, नीम, सीताफल, आम, चिरोल आदि।	1160
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, सीताफल, करंज, सफेद कॉस्टर आदि।	230
3	ग्राम भमरहा–२ के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि।	100
4	ग्राम भमरहा–२ के शासकीय माध्यमिक शाला के मैदान में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कचनार , सिस्सू , नीम , बरगद , पीपल , चिरोल आदि।	200
5	ग्राम भमरहा–२ एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, अमला, कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद आदि।	1870
		योग	3560

19. <u>Case No 9676/2023 Shri Mohamad Jafar Sheikh, Lessee, R/o Village-Sadwa, Tehsil-Tarana, District-Ujjain (MP)-456661, Prior Environment Clearance for Gadaroli Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (2,800 Cum per annum) (Khasra No. 3/2, 3/3), Village-Gadaroli, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/2, 3/3), Village-Gadaroli, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 03/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मुहम्मद जफर शेख (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 02 दिनांक 02/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के

खदान के उत्तर दिशा में लगभग 67 मी. एंव 174 मी. उत्तर–पश्चिम दिशा में पक्का रोड है। पक्का रोड के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। रोड के कारण 100 मी. तक का एरिया प्रस्तुतीकरण में नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ा गया है, खदान का उत्तरी भाग आंशिक रूप से खुदा हुआ है। से जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया गूगल इमेज के अनुसार कि खनन् क्षेत्र मे यह खुदाई वर्ष 2014 मे की गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक को यह लीज नवम्बर 2022 मे आंवटित हुई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रश्नाधीन खदान में 03 पेड़ लगे है, जिनमे से 01 पेड काटे जावेगे जिसके एवज मे 10 पेड अतिरिक्त लगाये जायेगे।

चूँकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र कमांक 03 दिनांक 02/01/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि कार्यालयीन पत्र दिनांक 30/11/22 से सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिया द्वारा दिनांक 17/11/22 को अनुमोदित की गई है । उक्त उत्खनिपट्टा आवेदन में सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) होने जाने के पश्चात् नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में खदान जानकारी सम्मिलित कर जी जावेगी ।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 2,800 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.40 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.14 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
शासकीय प्राथमिक शाला में 5000 लीटर क्षमता कि पानी की टंकी लगवाई जावेगी एवं वह पर टैंकर के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जावेगी	30,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1210 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा

1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, खमेर, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, सफेद कैस्टर, करंज आदि।	260
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	150
3	उत्खनिपट्टा में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में 400 वर्ग	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, खमेर, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, सफेद कैस्टर, करंज आदि।	80
4	ग्राम गडरोली के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, कटहल, आवला, करंज, आदि।	50
5	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल मुनगा आदि।	670
		योग	1210

20. <u>Case No 9544/2022 Shri Ravindra Solanki, Sagar Road, Village-Gundanwara, Post-Samarra Baldeogarh, District-Tikamgarh (MP)-472010 Prior Environment Clearance for Sundarpur Crusher Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (30000 Cum per annum) (Khasra No. 760, 762/1, 773), Village- Sundarpur, Tehsil-Tikamgarh, District-Tikamgarh (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 760, 762/1, 773), Village- Sundarpur, Tehsil-Tikamgarh, District-Tikamgarh (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण सेक की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 एवं 627वीं बैठक दिनांक 03/02/2023 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

21. <u>Case No 9441/2022 Shri Santosh Sharma R/o Village Bhaluha, Tehsil Raipur Karchuliyan, District Rewa (MP)-486114, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4241 Cum per year) (Khasra No. 224/1kha/1, 224/1kha/3, 224/1kha/4, 224/1kha/6, 224/1kha/7, 224/1kha/11), Village - Ramnai, Tehsil - Raipur Karchuliyan, Dist. Rewa (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 224/1kha/1, 2241kha/3, 224/1kha/4, 224/1kha/6, 224/1kha/7,m 224/1kha/11), Village - Ramnai, Tehsil - Raipur Karchuliyan, Dist. Rewa (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण से की पूर्व 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स फॉरेस्ट इंवायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 959 दिनांक 20/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स फॉरेस्ट इंवायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल को प्रस्तुतीकरण हेतु अधिकृत किया गया था, जिनकी नेबिट एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट की वैधता दिनांक 03/10/22 को समाप्त हो चुकी है । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मेसर्स फॉरेस्ट इंवायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल की वैधता 17/01/23 तक क्यू.सी.आई. के पत्र क्रमांक 2561 दिनांक 18/10/22 के माध्यम से बढा दी गई है जो प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–79 के सरल क्रमांक–32 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान बीच से खुदी हुई है, तथा इमेज देखने से प्रतीत होता है कि इस खदान में खनन् कार्य किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र निजी भूमि है जिस पर अवैध खनन् कार्य आस–पास के लोगो द्वारा किया जा रहा हैं तथा हमारे द्वारा कोई खनन् कार्य नही किया गया है । इसी प्रकार आवंटित खनन्

क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 130 मीटर पर तथा दक्षिण पूर्व दिशा में खदान् से लगे हुए क्षेत्र में खनन् के प्रमाण गूगल इमेज से दृष्टिगत हो रहे है अतः समिति ने चर्चा कर यह निर्णय लिया कि उपरोक्त संदर्भ में संबंधित खनन् अधिकारी/संक्षम प्राधिकारी से प्रतिवेदन/जानकारी प्राप्त कर प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाये।

परियेाजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 07/02/2023 अपलोड कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 03/03/2023 को समिति के समक्ष रखा गया, परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स फॉरेस्ट इंवायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल उपस्थित हुए । 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 द्वारा चाही गई जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 177/खनिज/2023 रीवा, दिनांक 19/01/2023 के माध्ययम से सेक कार्यालय मे ऑनलाईन प्रेषित कर दी गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 4241 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.63 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.40 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम रामनई के शासकीय प्राथमिक स्कूल एवं आगंवाड़ी की मरम्मत एवं पुताई	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल, नीम, खमेर, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ।	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री गार्ड के साथ–	400
3	तमरी स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	50

4.	तमरी एवं बेलहा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	450
		कुल	1200

22. <u>Case No 9459/2022 M/s Pranavi Enterprises, Prop. Shri Pranya Kumar Singh R/o 354, 3rd Floor, Lekhraj Khajana, Indira Nagar, Lucknow (UP)-226016, Prior Environment Clearance for Pyrophyllite and Diaspore Mine in an area of 3.00 ha. (39330 TPA) (Khasra No. 79/2), Village - Kakaoni, Tehsil - Prithvipur, Dist. Niwari (MP)</u>

This is case of Pyrophyllite and Diaspore Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 79/2), Village - Kakaoni, Tehsil - Prithvipur, Dist. Niwari (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

इस प्रकरण में समिति की पूर्व 612वीं बैठक दिनांक 15/12/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री प्रणय कुमार सिंह एवं श्री मधुर सिंह एवं पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 921 दिनांक 30/03/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक–51 के सरल क्रमांक–126 पर इस खदान का विवरण दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रकरण के विवेचना के दौरान पाया गया कि :–

- ✓ ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज नहीं लोड हो रही है, अतः आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी दिशा में आबादी है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह अवैध कब्जा है । इसी प्रकार तहसीलदार के पत्र दिनांक 02/05/17 के अनुसार भी आवेदित क्षेत्र से मानव बसाहट एवं स्कूल प्राथमिक शाला लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। समिति चर्चा उपरांत अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक आबादी के संरक्षण हेतु योजना, कितने मकान हैं एवं आर एण्ड आर प्रस्तावित है तो उसकी योजना प्रस्तुत करें ।
- ✓ ऑनलाईन अपलोडेड खनन् योजना अनुसार खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित की गई है जबकि परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व दिशा में स्थित आबादी के कारण खनन् कार्य

ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर के माध्यम से करेंगे, अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक शपथ–पत्र प्रस्तुत करें ।

- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–38 (a)Have you hired Consultant for preparing document में No एवं क्रमांक–38 (i)Reason for not Hiring the Consultant में It is draft stage but will be appointed before submitting of final copy. उल्लेख है, अतः सही स्थिति स्पष्ट की जाये।
- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–14.6 (a) Range of Water Table Pre-Monsoon Season (Meters Below Ground Level (m bgl)) From 25 To 30 जबकि b)Range of Water Table Post-Monsoon Season (Meters Below Ground Level (m bgl)) From 4 To 5 उल्लेखित है जो उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि फार्म–2 के सरल क्रमांक–35 (11) में गहराई 08 मीटर दर्शाई गई है, अतः यदि पोस्ट मानसून वाटर लेवल 4 से 5 मीटर है तो ग्राउण्ड वाटर इंटरसेक्शन की संभवना होगी, अतः स्थिति स्पष्ट की जाये।
- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–16.1 Waste Water Management(During Operation- Rainy Water उल्लेखित है, जिसमें खनन् के दौरान उत्पन्न होने वाले दूषित जल का विवरण देना चाहिए, अतः फार्म–2 सुधार कर प्रस्तुत करें ।
- ✓ फार्म–2 के सरल क्रमांक–17 Solid Waste Generation/Management की जानकारी में एम.एस.डब्लू. की जानकारी का विवरण भी देना चाहिए, अतः फार्म–2 सुधार कर प्रस्तुत करें ।
- ✓ वन मण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1465 दिनांक 22/03/22 के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन सीमा से कक्ष क्रमांक पी 181 से 180 मीटर दूरी पर स्थित है, अतः संभागीय समिति की अनुशंसा प्रस्तुत करें।
- ✓ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1607 दिनांक 27/09/2018 अनुसार खदान दिनांक 01/11/97 से स्वीकृत है तथा अनुमोदित खनन् योजना के बिंदु 3.3 (IV) अनुसार वर्ष 1992–93 से वर्ष 2016–17 तक 2885 मै.टन उत्पादन किया गया है, अतः स्पष्ट करें कि किस वर्ष तक उत्पादन किया गया है एवं किस वर्ष से उत्पादन बंद है एवं आज दिनांक तक किये गये खनन् कार्य का विवरण तथा संबंधित खनिज अधिकारी की असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोटल पर दिनांक 06/01/23 को अपलोड कर दी गई है । प्रकरण आज दिनांक 28/01/23 को सेक की 623वीं बैठक में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री प्रणय कुमार सिंह एवं श्री मधुर सिंह एवं पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए ।

अतः समिति ने चर्चा कर यह निर्णय लिया कि उपरोक्त संदर्भ में संबंधित खनन् अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी से प्रतिवेदन/जानकारी प्राप्त कर प्रकरण पर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाये।

1. खदान स्वीकृत क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में 20–30 मकान है। परियोजना प्रस्तावक सक्षम प्राधिकारी से प्रतिवेदन/जानकारी प्राप्त कर यह बतायें कि ये मकान लीज क्षेत्र के अंदर है या लीज क्षेत्र के बाहर है यदि ये मकान (20–30) लीज क्षेत्र के अंदर है तो THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION

AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, के तहत् सक्षम प्राधिकारी के स्तर से की गई कार्यवाही का विवरण दें।

2. चूँकि आबादी क्षेत्र लीज क्षेत्र से लगा हुआ है। अतः इसके संरक्षण योजना के तहत् नॉन माईनिंग एरिया छोडते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करे।

23. <u>Case No 9252/2022 M/s Vrindavan Construction, Partner, Shri Arun Agrawal S/o Late Shri R.P.Agrawal, 250, Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Dist. Bhopal, MP. Environment Clearance for Proposed at Proposed "Sage Golden Spring" Residential Apartment located at Khasra No. - (10/1, 12, 13, 14, 15), (10/2/1, 12, 13, 14, 15), 11/1, (16/1, 18, 21), (16/2, 18, 21) 17/1/1, 17/1/2, 17/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 28/1/1, 28/1/2, 28/2/1, 28/2/2, 29/1/1, (A) 29/1/1 (B) 29/1/2/1, 29/1/2/2, 84/1/1, (84/2/1, 85, 86/1), 84/2/2, 86/2, Village – Damkheda, Patwari Halka No. 21, Tehsil – Huzur & District – Bhopal (M.P.). Total Plot Area – 47170.00 Sq.mtr. (4.717 ha,), Built Up Area - 98714.54 square meter ha., Cat. - 8(a). Building and Construction projects. Env. Con. -Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur, (Rajasthan).</u>

This is case of Environment Clearance for Construction of "M/s Vrindavan Construction is developing "Sage Golden Spring" Residential Apartment Located at Village: Damkheda, Patwari Halka No. 21, Tehsil – Huzur & District – Bhopal, Madhya Pradesh on a land admeasuring 47,170 Square meter (4.717 Ha).
Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 583rd SEAC dated 30/06/2022 wherein ToR was recommended. In the 603rd SEAC meeting dated 04-11-22 EC was recommended.

पूर्व मे यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 603वीं बैठक दिनांक 04/11/2022 को अनुशंसा कर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित किया गया था जिसे राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा बैठक क्र0. 758 वीं बैठक में रखा गया । समिति ने प्रकरण पर चर्चा की एवं पाया कि सिया ने निम्न बिंदुओं पर परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार से स्पष्टीकरण/संशोधन चाहा गया है :–

- रेमेडियल प्लान कार्यवाही विवरण में "Cut – Paste" प्रक्रिया के कारण अनेक विसंगतियां पाई गई, जिससे प्रकरण का निराकरण करने में प्राधिकरण को असुविधा महसूस हो रही है।
- Environment Policy मद 9/P-6 पर भी दी गई टिप्पणी भी स्वीकार योग्य नहीं है। इस पर व्यय भी निरंक बताया गया है। मद–11 Source of Water में Construction Phase में निर्माण एवं संचालन चरण में व्यय भी निंरक दिखाया है जबकि इन मदों पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा निश्चित ही व्यय करना अनिवार्य है।

- 4ए में Environmental Management Plan कॉलम में "*Land is in possession of Signature Builders & Colonizers under joint registered joint venture. All land records are enclosed with our EC Application* "उल्लेखित है। यह त्रुटि भी कट पेस्ट के कारण परिलक्षित हुई है। सलाहकार द्वारा इतने गंभीर विषय पर भी लापरवाही चिंतनीय है। EIA त्रुटिपूर्ण है, जिसमें सलाहकार द्वारा गंभीर त्रुटियां की हैं।
- SEAC की 603वी बैठक में प्रकरण क्र. 9166/2022 का Remedial Plan मद 12 में भी 100 KLD का STP रू. 40,00,000/– का दिखाया है, वही इस विचाराधीन प्रकरण में 500 KLD का STP के लिए भी रू. 40,00,000/– ही दर्शाया गया है।
- उपरोक्त सभी त्रुटियां गंभीर प्रकृति की है जो कि पर्यावरण उल्लघंन की स्थिति में ''मानक संचालन प्रक्रिया'' की मार्गदर्शिका की गंभीर अनदेखी है।
- उपरोक्त सभी त्रुटियां गंभीर प्रकृति की है इन्हीं कार्यों की प्राक्कलित राशि से बैंक गारन्टी की राशि का निर्धारण किया जाता है जिसके आधार पर पर्यावरण उलन्धन कर्ता प्रस्तावित कार्य करने को बंधनकारी होता है इस प्रकार सलाहकार की यह त्रुटी पर्यावरण उल्लघंन की स्थिति में ''मानक संचालन प्रक्रिया'' की मार्गदर्शिका की गंभीर अनदेखी है।
- Form 1 में Activity 1.1, 1.3 में भी इंदौर मास्टर प्लान का जिक्र दिखाया है जो कि सलाहकार की गंभीर त्रुटि है।
- प्रकरण में यह भी पाया गया है कि सलाहकार द्वारा EIA में ToR के पेज नं. 11के (d) की वांछित जानकारी भी नहीं दी गई है।
- सलाहकार द्वारा प्रतिशत मे बताई गई भौतिक प्रगति स्वीकार्य योग्य नहीं है। सलाहकार/परियोजना प्रस्तावक को किये गये कार्यो का विवरण एवं माप पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिये जिससे परियोजना पर आवेदन दिनांक तक किये गये व्यय लागत का अनुमान लगाया जा सके।
- परियोजना प्रस्तावक की परियोजना अवधि से आवेदन दिनांक तक आयकर रिटर्न्स, बैलेंस शीट एवं परियोजना पर किये गए व्यय की जानकारी मांगी जावे। योजना पर किये गये व्यय का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र भी माँगा जावे परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी किये गए व्यय का शपथपत्र भी लिया जावे।
- साथ ही इस परियोजना हेतु किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लिया गया हो तो SEIAA में आवेदन दिनांक तक बैंक द्वारा दिनांकवार उपलब्ध कराई गई राशि की सत्यापित जानकारी प्रस्तुत करे।

अतः सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त सभी जानकारियॉ परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार से प्राप्त करने बावत् ADS के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाये तथा प्रकरण की पुरानी EIA remediation एवं Damage असेसमेंट प्लान को निरस्त मानते हुए नवीन EIA remediation एवं Damage असेसमेंट प्लान परियोजना प्रस्तुत करें। पर्यावरण सलाहकार भी उपरोक्तानुसार प्रकरण में की गई गंभीर त्रुटियों के लिए क्यों न कार्यवाही की जावे तथा प्रकरण नेबिट के ध्यान में लाया जाये के संदर्भ में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें ।

Vide letter dated 31.01.2023 PP Shri Arun Agrawal (Partner) M/s. Vrindavan Construction submitted the query reply on line on PARIVESH Portal which were asked in the in the SEAC 613th meeting dated 22.12.2022. Hence, this case is scheduled in this agenda. PP replied in their ADS .

The query reply was presented wherein PP expressed apologies for the errors made in the submitted documents and stated that it will not be repeated in future. During discussion and presentation, PP submitted that they have revised the proposal and remediation plan with EIA.

The committee observed that PP has submitted information which is lacking PP's commitment and other details as per SEIAA's instruction "परियोजना प्रस्तावक की परियोजना अवधि से आवेदन दिनांक तक आयकर रिटर्न्स, बैलेंस शीट एवं परियोजना पर किये गए व्यय की जानकारी मांगी जावे। योजना पर किये गये व्यय का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र भी माँगा जावे परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी किये गए व्यय का शपथपत्र भी लिया जावे". The documents submitted by PP reveals that PP has only submitted CA Certificate but remaining documents as required by SEIAA such as "परियोजना प्रस्तावक की परियोजना अवधि से आवेदन दिनांक तक आयकर रिटर्न्स, बैलेंस शीट परियोजना पर किये गए व्यय की जानकारी मांगी एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी किये गए व्यय का शपथपत्र भी लिया जावे " are not submitted. Thus committee recommends that PP may be asked to submit all documents desired by SEIAA. The consultant has also not responded on SEIAA's observation "पर्यावरण सलाहकार भी उपरोक्तानुसार प्रकरण में की गई गंभीर त्रुटियों के लिए क्यों न कार्यवाही की जावे तथा प्रकरण नेबिट के ध्यान में लाया जाये के संदर्भ में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें", hence consultant may also be asked to submit their clarification within 10 days for onward necessary action.

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.

16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.

34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :

- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।